

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खट्टा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खट्टा
व भू.अ.नि. बने डिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खट्टा / नायब
तहसीलदार खट्टा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खट्टा तहसील खट्टा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या ७४ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>खट्टा</u>	<u>७४</u>	<u>मांगु पुत्र गिरचरी सुबाट</u>	<u>मांगीलाल पुत्र गिरचरी</u>

6/
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक:- 319

दिनांक :- 10/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खट्टा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री मांगीलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। मांगीलाल

0/
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____